



कार्यालय-वन संरक्षक शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक:- 637 / 12-1

दिनांक 05 सितम्बर, 2024।

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
लैन्सडौन वन प्रभाग,
कोटद्वार।

विषय:- जनपद पौडी गढ़वाल में जम्पिंग एडवेंचर्स प्राइवेट लि० के पक्ष में 0.157 है० वन भूमि के लीज नवीनीकरण के संबंध में। (Online Proposal No- FP/UK/OTHERS/9959/2015)

संदर्भ:- आपका पत्रांक- 764 / 12-1 दिनांक-02 / 09 / 2024।

महोदय,

उपरोक्त विषय में संदर्भित पत्र द्वारा आपने भारत सरकार द्वारा चाही गई 02 बिन्दुओं की सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की गई है, अवगत कराना है कि बिन्दु 02 में भारत सरकार द्वारा आपके स्तर से वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं वन (संरक्षण एवं सर्वधन) अधिनियम 2023 के उल्लंघन न होने की प्रमाणित (Certified) सूचना माँगी गई है। आपके द्वारा प्रेषित सूचना तदनुरूप नहीं है।

अतः उक्त क्रम में इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न करें कि प्रयोक्ता एजेन्सी/लीज धारक द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं वन (संरक्षण एवं सर्वधन) अधिनियम 2023 का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है।

भवदीय,

(राजीव धीमान)

वन संरक्षक,

शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।